कार्यालय : गाजियाबाद विकाश प्राधिकरण गाजियाबाद
(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 243/618/THA/GHN/06 दिनांक 8.11.06

श्रीमति/श्री/मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लि० द्वारा डायरेक्टर
श्री राजकुमार अग्रवाल
149 जी.टी. रोड गाजियाबाद

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25.5.06 के सन्दर्भ में आपे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की मौहल्ला/कालौनी/ग्राम KH No. 823, 824, 825, 836 व 837 से 843 तक, 846 व 847 ग्राम पसौंडा पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्रों स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मांनचित्र जिस प्रयोजना हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये लायेंगे कि वह सड़क की और न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दें पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौक पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एंव स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 6.5.06 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 1041 पेड़ लगाना अनिवार्य हैं।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न हैं, भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण -पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओ से सम्बन्धित भवनो में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बेंक्वेट हॉल , बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।

8/11/06

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

संलग्नक :

1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि : 1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित।
2. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचनार्थ।

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद